संख्या-01/2021/2181/71-4-2020

प्रेषक,

आनन्द कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ, उ0प्र0 ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनॉक 04 जनवरी ,2021**

विषयः- अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय,लखनऊ, उ0प्र0 में कुलपति के उपयोगार्थ वाहन के क्रय किये जाने की अनुमति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय,लखनऊ, उ0प्र0 के पत्र संख्या-ए0बी0वी0एम0यू0/वी0सी0/48/2020, दिनांक 02-07-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय,लखनऊ, उ0प्र0 में कुलपति के उपयोगार्थ एक वाहन का क्रय किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सन्दर्भित विश्वविद्यालय के कुलपति के उपयोगार्थ रू0 14.00 लाख की सीमा के अन्दर 01 वाहन क्रय किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं:-

1. प्रस्तावित वाहन का क्रय वर्तमान में लागू DGS & D के GEM Portal द्वारा निर्धारित दरों पर किया जायेगा ।
2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनदेश संख्या-1/2015/403/18-2-15-125(ल0उ0)/2014, दिनांक 22 मई, 2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के लेखाशीर्षक"2210-05-105-03-0387-मा0 अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" ,के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-941/दस-2020, दिनॉक 28 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(आनन्द कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:-01/2021/2181(1)**/71-4-2020 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. कोषाधिकारी, लखनऊ ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय,लखनऊ, उ0प्र0।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।